Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 167-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019 (ASVINA 9, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 अक्तूबर, 2019

संख्या 83/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 37/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में, –

(i) सारणी में, खाना (3) में, मद (5) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:–

"(6) हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाईसेंसिंग पॉलिसी (HELP) या ओपेन एक्रेज लाईसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन किए जाने वाले पेट्रोलियम आपरेशन्स या कोल बेड मिथेन आपरेशन्स";

(ii) अनुबंध में, शर्त संख्या 1 के सामने, खंड (ड.) में,–

(i) ''अंत में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात:–

''परंतु जहां इस प्रकार प्रदाय किए गए उक्त माल का, म्युटिलेशन के पश्चात्, नान सर्विसेबल रूप में निपटान किए जाने की मांग की गई हो वहां जावक प्रदाय का प्राप्तिकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, अपने विकल्प पर ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर 9 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकता है। बशर्ते कि जावक प्रदाय का प्राप्तिकर्ता या अंतरिती, जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय कर उपायुक्त, या सहायक केन्द्रीय कर उपायुक्त, या राज्य कर उपायुक्त या सहायक राज्य कर आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में माल का प्रदायकर्ता आता हो, के समक्ष भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय के विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उक्त माल नॉन–सर्विसेबल है और निपटान के लिए इसका म्युटिलेशन कर लिया गया है ।"।

2. यह अधिसूचना प्रथम अक्तूबर, 2019 से लागू होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 1st October, 2019

No. 83/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 37/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 37/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

(I) in the TABLE, under column (3), after item (5), the following item shall be inserted, namely: -

"(6) Petroleum operations or coal bed methane operations undertaken under specified contracts under the Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) or Open Acreage Licensing Policy (OALP)";

(II) in the ANNEXURE, against Condition No. 1, in clause (e), -

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted at the end, namely: -

"**Provided** that where the said goods so supplied are sought to be disposed of in non-serviceable form, after mutilation, the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, may at his option, pay the tax at the rate of nine per cent on transaction value of such goods subject to the condition that the recipient of outward supply or the transferee, as the case may be, produces before the Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, having jurisdiction over the supplier of goods, a certificate from a duly authorised officer of the Directorate General of Hydro Carbons in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India, to the effect that the said goods are non-serviceable and have been mutilated for disposal.".

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

57403—C.S.—H.G.P.,Chd.